

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

धन कौर बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान

धारा अन्तर्गत 88, 92ए आरटीए मुकदमा नं. 100/2019

निर्णय दिनांक:- 05.01.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादिया अधिवक्ता श्री सुभाष गोयल एवं पैरोकार राज पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए आरटीए, पैरोकार राज के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार किए जाने पर खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 05.01.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर